<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 1/2022 **दायर दिनांकः 01.02.2022**

उनवान

1. रामकन्या बाई आयु 44 वर्ष पत्नि गिरधारीलाल जाति मेहर निवासी अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 136 एल0आर0एक्ट</u>

<u>बाबत नक्शा दुरूस्ती</u>

उपस्थिति :–

प्रार्थी :– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर

अप्रार्थीः– पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 19/01/2023

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 136 भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल बेडक्या पटवार हल्का मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां (राज0) की आराजी खाता संख्या 153 का ख.नं. 584/475 का रकबा 0.67 हे0 प्रार्थिया के दर्ज खाता स्थित है। नवीन नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस साथ में संलग्न है। आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित प्रार्थिया के खाते की आराजी खाता संख्या 153 का ख.नं. 584/475 का रकबा 0.67 है0 का नया नक्शा बनाते समय मुख्य सड़क पर दक्षिण दिशा में नक्शा सकड़ा कर दिया व उत्तर दिशा में चौड़ा कर दिया। जबकि बंटवारा प्रस्ताव में दक्षिण दिशा की तरफ प्रार्थिया के हिस्से की आराजी का 54 मीटर चौड़ा नक्शा था व उत्तर दिशा में सकड़ा था। जिस पर प्रार्थिया ने पत्थर का कोट करा रखा है तथा प्रार्थिया के कब्जे काश्त में चली आ रही है। इसलिए प्रार्थिया के तहसीलदार साहब अटरू के बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार नक्शा दुरूस्त कर नक्शा सही किया जावे। बंटवारा प्रस्ताव की प्रति साथ में संलग्न है। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित प्रार्थिया के खाते की आराजी का नक्शा दुरूस्त किया जाना

सम्भव नहीं है। अगर नक्शा दुरुस्त नही किया गया तो प्रार्थिया को अपरिमित क्षति होगी तथा प्रार्थिया को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा। अस्तु प्रार्थिया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित प्रार्थिया के खाते की आराजी का नक्शा तहसीलदार अटरू के बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार दक्षिण दिशा में मुख्य सड़क पर 54 मीटर चौड़ा व उत्तर दिशा में सकड़ा दर्ज किया जावे। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जायेगें। अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थिया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 136 एल०आर०एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित प्रार्थिया के खाते की आराजी का नक्शा तहसीलदार अटरू के बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार दक्षिण दिशा में मुख्य सड़क पर 54 मीटर चौड़ा व उत्तर दिशा में सकड़ा दर्ज करने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। तहसीलदार अटरू से विवादित आराजी की मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2022/2178 दिनांक 29.08.2022 एवं दिनांक 20.09.2022 से मौका रिपोर्ट पेश कर कथन किया कि वर्तमान में खातेदार रामकन्याबाई पत्नी गिरधारी जाति मेहर सा. देह का वर्तमान ख0नं0 584/475 रकबा 0.67 है0 भूमि खाते दर्ज है जिसका नामा. संख्या 419 दर्ज हो चुका था जिसमें प्रार्थीया के खेत की तरमीम उत्तर में 27 मीटर व दक्षिण में 54 मीटर दर्ज होना था जबकि फैसले में लम्बाई चौडाई दर्ज नहीं होने के कारण खेत की तरमीम गलत दर्ज हो गई है जबकि मौके स्थिति के अनुसार खातेदार उत्तर में 27 मीटर व दक्षिण में 54 मीटर पर काबिज है। इस प्रकार तहसीलदार अटरू द्वारा तरमीम में हुई गलती को स्वीकार किया।

3. अभिभाषक प्रार्थीया एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि ग्राम बेडक्या के ख0नं0 584/475 रकबा 0.67 है0 तथा इसके लगवा भूमि ख0नं0 583/475 रकबा 0.67 है0 की राजस्व नक्शे में तरमीम करते समय राजस्व कार्मिकों द्वारा प्रार्थी के हिस्से की आराजी की उत्तर दिशा में चौडाई 27 मीटर व दक्षिण दिशा में 54 मीटर दर्ज करने की बजाये उत्तर दिशा में ज्यादा लम्बा व दक्षिण में सकरा कर दिया जिसे दुरूस्त कर दक्षिण दिशा में मुख्य सड़क पर 54 मीटर चौड़ा व उत्तर दिशा में सकड़ा दर्ज किया जावे। पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थिया द्वारा चाहे गये अनुतोष पर कोई आपत्ति पेश नहीं की गई।

4. अभिभाषक प्रार्थीया एवं पेरोकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम बेडक्या की प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2071–74 के खाता संख्या 153 के ख0नं0 584/475 रकबा 0.67 है0 आराजी प्रार्थीया रामकन्या पत्नि गिरधारी जाति मेहर के खाते जबकि लगवा ख0नं0 583/475 रकबा 0.67 है0 कमला पुत्री मूल्या, केला पुत्री हीरा व अन्य 14 सहखातेदारों के खाते दर्ज है। पूर्व में हुऐ खाता विभाजन के दौरान दोनों ख0नं0 का Front समान होना चाहिए था। प्रार्थी द्वारा पेश इजराय रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/2020/202 दिनांक 18.03.2020 के अवलोकन अनुसार इस न्यायालय से निर्णित प्रकरण संख्या 75/2017 रामकन्या बनाम छीतरलाल में ख0नं0 475 रकबा 1.34 है0 का प्रार्थी रामकन्या व सहखातेदार छीतरलाल के मध्य समान रूप से विभाजन किया गया था। अतः प्रार्थी रामकन्या व सहखातेदार छीतरलाल दोनों के दर्ज हिस्से के उत्तरी व दक्षिणी छोर लगभग समान होने चाहिए थे जबकि प्रार्थी द्वारा पेश ख0नं0 584/475 व 583/475 के खसरा नक्शा में ख0नं0 584/475 के दक्षिण छोर की लंबाई ख0नं0 583/475 के दक्षिण छोर लंबाई से कम है। उक्त त्रुटि को पेरोकार सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है। राजस्व रिकार्ड यानी नक्शे में तरमीम के दौरान लिपीकीय त्रुटि को दुरूस्त करने के संबंध में इस न्यायालय की भू0 अभिलेख अधिकारी के रूप में शक्तियों का अवलोकन करना आवश्यक है जो निम्न प्रकार है–

Sec- 111 LR act- धारा 111 के अनुसार किन्ही सीमाओ के संबंध मे कोई विवाद उत्पन्न हो तो भू–अभिलेख अधिकारी वर्तमान मानचित्रो के आधार पर या ऐसे मानचित्र उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के अनुसार निर्णय करेगा।

Sec- 128 LR act- धारा 128 के अनुसार यदि सीमा पर कोई विवाद नही हो किन्तु सीमाचिन्ह के अभाव मे विवाद उत्पन्न होने की संभावना हो तो काश्तकार का आवेदन प्राप्त होने पर तहसीलदार द्वारा निपटारा किया जायेगा।

Sec- 136 LR act- गलतियो का शुद्धिकरण– धारा 136 के अनुसार यदि किसी राजस्व अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान किसी अधिकार अभिलेख या रजिस्टर मे कोई गलती को नोटिस किया जावे तो संबंधित पक्षकारो को सुनवाई का अवसर दिये जाने के बाद और किसी पक्षकार अपनी

ओर से द्वारा गलती होना जाहिर किया जावे तो भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा ऐसी गलतियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत शुद्ध कर सकेगा।

5. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण, तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट दिनांक 20.09.2022 एवं प्रकरण संख्या 75 ⁄ 2017 में जारी डिक्री की पालना रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य है।

–:: क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र 111, 128, 136 एल0आर0एक्ट0 स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम बेडक्या के खाता संख्या 153 के ख0नं0 584 ⁄ 475 रकबा 0.67 है0 आराजी का निम्नानुसार तरमीम शुद्ध करने के आदेश दिये जाते है। तरमीम शुद्धी के दौरान ख0नं0 584 ⁄ 475 व ख0नं0 583 ⁄ 475 के दक्षिण छौर की लम्बाईयां बराबर रहनी चाहिए।

वर्तमान स्थिति (Table no 1)

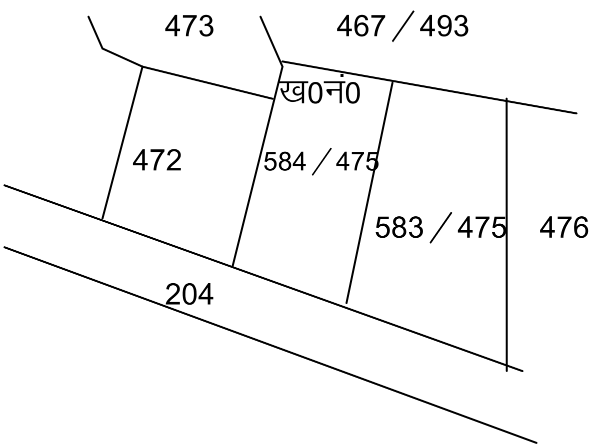

(Table no 2)

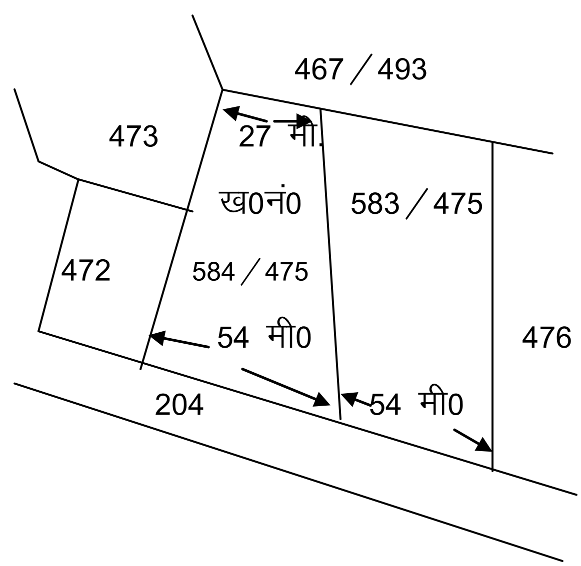

तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है नियमानुसार टीम बनाकर प्रार्थिया व ख0नं0 583/475 के खातेदार की उपस्थिति में Table no 2 अनुसार नक्शे में तरमीम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां